on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(ii) Review by Government on the working of the Corporation.

II. Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at I (i) above.

[Placed in Library. See No. LT-1494/85 f.r (i) and (ii)]

---

**A matter of Urgent Public Importance Calling Attention to immediate need to pay remunerative prices to sugarcane growers for their produce in view of fall in production of sugar**

MR. CHAIRMAN: Calling Attention. Shri Kalpnath Rai.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, आप की आज्ञा से मैं देश में चीनी के उत्पादन में गिरावट को ध्यान में रखते हुए मुझा उत्पादकों को उन की उपज के लिये लाभकारी मूल्य प्रदान किये जाने की तत्काल आवश्यकता तथा इस विषय में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की ओर खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री का ध्यान दिलाता हूं।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI K. P. SINGH DEO): Sir, In the first instance, I would like to thank the Hon'ble Members of this House for providing this opportunity to discuss this important subject as well as to share Government's thinking and clarify its actions in the matter of ensuring remunerative prices to the sugarcane growers and for reversing the downward trend in sugar production which had been somewhat slugglish during the last two years.

The Central Government fixes the statutory minimum prices of sugarcane payable by vacuum pan sugar factories. The sugar industry, as Hon'ble Members are aware, utilises a little over 1/3rd of the total cane crop, while the rest of it goes mostly for use in the unorganised sectors. While fixing the statutory minimum prices of sugarcane, the cost of production of sugarcane, the return to the grower from alternative crops and the general trend of prices of agricultural commodities, the recovery of sugar from sugarcane apart from other factors are taken into consideration. The crux of the policy followed by the Central Government lies in strinking a harmonious balance between the interests of growers of sugarcane producers of sugar and its consumers. It is considered that a further increase in the statutory minimum price would necessitate a further upward revision of the levy sugar price, which would be against the interests of the whole population including the vulnerable sections.

The prices fixed by the Central Government are only floor prices below which no producer of sugar can pay. They primarily safeguard growers from exploitation in a year of glut in sugarcane production.

For the sugar season 1985-86 the statutory minimum price has been fixed at Rs. 16.50 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent. This marks an increase of Rs. 2.50 per quintal over the minimum price fixed for the last season. I am confident that the Hon'ble Members will appreciate the fact that this was the price recommended by the Commission of Agricultural Costs and Prices, the expert body on agricultural costs and prices. Apart from this, Government have also announced the statutory minimum price for the season 1986-87 as Rs. 17 per quintal in order to enthuse the farmers to grow more sugarcane and have thus met a longstanding demand of the agriculturists as well as some of the Hon'ble Members to announce sugarcane prices in advance of commencement of the planting season. This substantial increase in the statutory minimum price of

[Shri K. P. Singh Deo]

sugarcane coupled with a change in the ratio of levy to levy-free sugar from 65:35 to 55:45, is calculated to improve the liquidity position of the sugar producers so that they can pay higher competitive and remunerative prices to the sugarcane growers.

The improvement in the liquidity position of the sugar industry is also expected to minimise the overall level of cane price dues. The Hon'ble Members might perhaps be aware that by effective monitoring and constant persuation the Government have already achieved reasonable success in reducing the level of cane price arrears which stand at 2.1 per cent (or Rs. 26.75 crores) as on 15-10-1985 as against 4 per cent (or Rs. 46.07 crores) as on the corresponding date last season.

The statutory minimum cane price fixed by the Central Government has relevance in the context of fixation of the levy price for 55 per cent of the production which is sold to the consumers through the Public Distribution System. Though the statutory minimum prices fixed provide for an element of return to the growers, in practice the growers get much higher prices than the statutory minimum. In West U.P., for example, the mills are paying Rs. 24 per quintal this season. Other areas of U.P. and Bihar have been advised by the State Governments to pay a price of Rs. 23 per quintal. In Harayana a price of Rs. 24/- per quintal has been announced by the State Government.

There is also a provision in the Sugarcane (Control) Order, 1966, popularly known as the Bhargava Sharing Formula according to which, the mills have to give to the growers half of certain excess realizations they make from the sale of free-sale sugar, in the shape of additional cane price. In actual practice, there has generally been hardly anything to share in this way because the mills pay much higher prices than the minimum price and the additional price taken together.

The Central Government advises the State Governments from time to time to ensure that the actual cane prices fixed are also paid to the growers timely. Effective monitoring is ensured in this regard but the responsibility for payment of remunerative actual cane prices, rests primarily, with the State Governments.

[उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं]

**श्री कल्पनाथ राय** : आदरणीय उपसभापति महोदया, मैं आपको देश के करोड़ों किसानों की तरफ से धन्वाद देता हूं कि आपने गन्ना किसानों के संबंध में प्रश्न उठाने का मौका दिया।

महोदया, चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। गन्ना क्षेत्र एवं उत्पादन की दृष्टि से आज भी भारत संसार में अग्रणी है परन्तु चीनी उत्पादन में अपना स्थान खोता जा रहा है। हमने 1981–82 एवं 1982–83 में देश में में चीनी का उत्पादन क्रमशः 84 लाख टन एवं 82 लाख टनकर विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया था तथा चीनी का निर्यात कर विदेशी मुद्रा भी अर्जित की थी एवं दस लाख टन चीनी का बफर स्टाक भी बनाया था ताकि कठिन समय में चीनी के बढ़ते भावों पर नियंत्रण स्थापित हो सके।

किसानों के कठोर परिश्रम से चीनी के अधिक उत्पादन एवं बफर स्टाक से प्रभावित होकर केन्द्र सरकार ने गन्ना किसानों की उपेक्षा की, परिणामस्वरूप गन्ने का क्षेत्रफल एवं चीनी का उत्पादन लगातार गिरता गया। पहली अक्तूबर 1983 को चीनी का कैरीओवर स्टाक 46 लाख टन था जो 1–10–85 को घटकर 16 लाख टन हो गया, दूसरी ओर चीनी की खपत 83 लाख टन हो गई परंत 1984–85 में चीनी का उत्पादन केवल 61 लाख टन हो गया। चीनी के उत्पादन में घाटे का मुख्य कारण किसानों को लाभप्रदमूल्य का न दिया जाना है। देश में चानी की बढ़ती माग की आपूर्ति करने एवं भावों पर नियंत्रण रखने की दृष्टि

से सरकार को चालू वर्ष में 19 लाख टन चीनी का 450 करोड़ की चीनी का विदेशों से आयात करना पड़ा। उसमें पचास हजार टन चीनी का नीलाम प्रतिमास भी सरकार ने कराया किन्तु फिर भी भाव नियंत्रित नहीं किये जा सके।

चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश, विदेशी मुद्रा गंवाकर चीनी का आयात करे यह सरकार की दोषपूर्ण नीति का परिणाम है। केन्द्र सरकार ने सीजन के बीच दो बार 1-2-1984 एवं 1-4-1985 को लेवी चीनी के मूल्यों में क्रमशः 25 एवं 40 प्रतिशत प्रति क्विंटल की वृद्धि कर एवं उत्पादन कर एवं क्रमकर में भी मिल मालिकों को छूट दी परन्तु फिर भी चीनी का उत्पादन बढ़ने के बजाय गिरता रहा। इसका मुख्य कारण उत्पादक किसान की उपेक्षा एवं उसे लाभ प्रद मूल्य का न दिया जाना है।

सरकार ने स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में 12 मार्च, 1980 को कैबिनेट की मीटिंग में नीतिगत निर्णय लिया और औद्योगिक सामानों यानि कारखानों में पैदा होने वाली वस्तुओं एवं खेतों के पैदा होने वाली वस्तुओं के दामों में पैरीटी (संतुलन) स्थापित की जायेगी। क्या हुआ ? सन् 1980 में लोहे का दाम सरकार ने एडमिनिस्टर्ड प्राइस तय किया।

सन् 1985 में सरकार ने गन्ने का मूल्य 22रू० क्विंटल तय किया। सन 1985 में गन्ने का दाम 24 रू० किया गया। क्या यही संतुलन का सिद्धांत है?

मैं सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं :

1. क्या सरकार किसानों को गन्ने का मूल्य कम से कब तीस रुपये प्रति क्विंटल देगी? क्योंकि उत्पादन लागत में बेतहाशा वृद्धि ई हैं।

2. क्या सरकार किसानों के गन्ने का मूल्य का भुगतान तुरन्त कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी क्योंकि गन्ने का मूल्य सालों बकाया रह जाता है इससे किसान हतोत्साहित हो कर मिलों को गन्ना नहीं देता है इस कारण मिले घाटे में चलती है?

3. मूल्य न मिलने का कारण है किसान को मजबूर हो कर कम-कीमत में गन्ना क्रैशर मालिकों को बेचना पड़ता है या खुद पैराइ करके गुड़ बनाना पड़ता है। दोनों दशाओं में घाटा होता है, इससे गन्ना कम बोया जाता है।

4. क्या सरकार यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उन्नतिशील किस्म के बीज एवं अन्य प्रोत्साहन दिये जा सके जिससे वे गन्ना अधिक से अधिक बोये?

5. क्या सरकार गन्ना-मिलों में पैदा होने वाले सिरे या मोलेसेस को उचित मूल्य पर बेचने की व्यवस्था करेगी जिससे मिलों का घाटा कम हो सके।

6. क्या सरकार चीनी मिल के क्षेत्र में किसानों को गन्ना उत्पादन के लिये समुचित सिचाई की व्यवस्था एवं पानी निकासी की व्यवस्था करेगी ताकि गन्ने का उत्पादन बढ़ सके?

7. क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष गन्ने का क्षेत्रफल पिछले वर्ष की तुलना में चार लाख हेक्टर कम हुआ है क्योंकि लाभप्रद मूल्य न मिलने के कारण किसान गन्ने की खेती छोड़ कर दूसरी खेती करने लगे हैं ?

8. क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि किसानों को लाभप्रद मूल्य न मिलने के कारण चीनी का उत्पादन 84 लाख टन से घटकर 61 लाख मैट्रीक टन हो गया हैं क्योंकि लाभप्रद मूल्य न न मिलने से किसानों को दूसरी फसल बोनी पड़ रही है।

9. क्या सरकार को इस वर्ष 19 लाख टन चीनी विदेशों से मंगानी पड़ी

[श्री गजेन्द्र राय]

है? क्योंकि किसानों को लाभप्रद मूल्य न मिलने के कारण गन्ने का उत्पादन कम हुआ है। क्या 450 करोड़ रुपये की चीनी विदेश से नहीं मंगानी पड़ी है?

10. क्या सरकार गन्ना मिलों का राष्ट्रीयकरण करेगी? जैसा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सन् 1969 में बम्बई अधिवेशन में गन्ना मिलों के राष्ट्रीयकरण का सर्वसम्मत निर्णय स्व० श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेतृत्व में लिया था।

11. क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गन्ने की खेती से एवं गन्ना मिलों के बाई प्रोडेक्टस से 22 प्रकार के अन्य कारखाने स्थापित हो सकते हैं?

12. क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गन्ना बोने वाले किसान पूरे देश में सरकारी कर्जे के बोझ से लदे हुए हैं? क्या सरकार गन्ना बोने वाले किसानों की माली हालत का सर्वे करायेगी, जो कर्ज में पैदा होते हैं, कर्ज में जीते हैं एवं कर्ज में ही मर जाते हैं?

13. क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष गन्ना किसानों ने प्रति हेक्टर रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कम किया है क्योंकि किसानों में रासायनिक उर्वरक खरीदने की क्रय शक्ति घटी है?

14. क्या सरकार को, इस बात की जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय मानदंड के मुताबिक हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति चीनी का उपभोग दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा सबसे कम है?

15. क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टर दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा कम है? क्योंकि एक तरफ किसान उन्नतिशील बीज का उपयोग नहीं कर पा रहा है एवं दूसरी तरफ प्रति हेक्टर खाद का उपयोग भी कम कर रहा है।

16. क्या सरकार को, इस बात की जानकारी है कि उन्नतिशील किस्म के गन्ने की पैदावार के लिये रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर बहुत कम रुपया खर्च हो रहा है?

17. क्या सरकार को, इस बात की जानकारी है कि आज तक एग्रीकल्चर कास्ट एवं प्राइस कमीशन का गठन नहीं हुआ है? जब कि प्रधान मंत्री ने कमीशन के गठन की घोषणा एक साल पहले की थी एवं भारत एक कृषि प्रधान देश है?

18. क्या सरकार बतालायेगी कि सन् 2000 तक हमारी चीनी की आवश्यकता कितनी होगी? इस लिहाज से सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितने नये चीनी उद्योग बनाये जा रहे हैं?

19. क्या सरकार को, इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष नेशनल रिक्वायरमेंट आफ सूगर 83 लाख मैट्रिक टन है तो इस साल उत्पादन का अनुमान क्या है? हमें इस साल बाहर से कितनी चीनी मांगनी पड़ेगी एवं उससे कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी?

20. क्या सरकार गन्ना मिलों का नया लाइसेंस देते वक्त गन्ने पर आधारित चीनी के अलावा अन्य प्रोडक्ट का भी लाइसेंस देगी ताकि चीनी के कारखाने घाटे में न चल सके?

21. हमारे देश में अलग-अलग एग्रीक्लाइमेटिक जोन हैं, जहां की जलवायु एवं जमीन की किस्म अलग-अलग होने के कारण गन्ने के उत्पादन का अलग-अलग परिणाम होता है। इस लिहाज से अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार का अनुसंधान केन्द्र होना चाहिये। सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना है। क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक चीनी की मांग 100 लाख मेट्रिक टन हो जायेगी? सन् 1980 से

1985 तक कितना जनरल प्राइस इन्डेक्स है? गन्ने का 1980 से 1985 के बीच प्राइस इन्डेक्स क्या है और गन्ने का दाम सरकार ने पिछले पांच वर्ष में क्या दिया है और आज कितना दे रही है। क्या जनरल प्राइस इन्डेक्स एवं गन्ने के प्राइस इन्डेक्स में कोई सन्तुलन है जब कि सरकार ने औद्योगिक एवं कृषि के सामानों के दामों में संतुलन स्थापित करने की नीति को 12 मार्च 1980 को अपनी केबिनेट की मीटिंग में लिया है। सरकार कृषि एवं औद्योगिक सामानों के दामों में संतुलन स्थापित करने के लिए अपनी नीति के अनुसार क्या कदम उठाने जा रही है। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट्स में उद्योग का कितना हिस्सा है एव कृषि का कितना हिस्सा है एवं कृषि पर आधारित उद्योग का कितना हिस्सा है। गन्ना उत्पादन एवं चीनी उद्योग में राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी बैंक का कितना पैसा लगा है एवं नेशनल इकानामी में गन्ने का क्या योगदान है?

आज हमारे शुगरकेन की रिकवरी विशेषत: उत्तर भारत में आठ प्रतिशत है एवं गन्ने का उत्पादन 12 टन प्रति एकड़ से भी कम होता है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे हमारी कृषि अनुसंधान संस्थाएं, कृषि विश्वविद्यालय ऐसी कोई गन्ने की किस्म निकालेंगी जिसकी रिकवरी 12 प्रतिशत से ज्यादा हो एवं गन्ने का उत्पादन 40 टन प्रति एकड़ हो, उसके बारे में आप क्या कदम उठा रहे हैं? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष पाइरीला की बीमारी के कारण गन्ना किसानों के गन्ने का भारी नुक्सान हुआ है जिसके कारण गन्ने का उत्पादन इस साल कम हुआ है? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गन्ना किसानों का कितना रुपया मिल-मालिकों पर बकाया है एवं बकाया रूपये का भुगतान मिल-मालिक कब तक करेंगे? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गन्ना मिल-मालिक उत्पादन का पूरा हिसाब सरकार को नहीं देते हैं एवं चीनी के बड़े हिस्से को चोर-बाजारी में बेचते हैं जिससे कालेधन की अर्थ-व्यवस्था मजबूत होती है?

उपसभापति महोदय, मैं सरकार से दो बातें पूछना चाहता हूं। आपने एक स्टेटयूटरी प्राइस फिक्स की है कि इतने रुपये से कम रुपये किसानों को नहीं दिए जाएंगे। यह स्टेट्यूटरी प्राइस का सिद्धान्त रिकवरी से लिंक है। पहले आपने मिल-मालिकों से कहा था कि लेवी शुगर का 65 प्रतिशत आपको देना पड़ेगा। लेकिन अब आपने एक तरफ तो लेवी शुगर की मात्रा 65 फीसदी से घटाकर 55 फीसदी कर दी है और दूसरी तरफ पहले जो कंज्यूमर को 4 रु० 40 पैसे में आप चीनी देते थे उसको आपने 4 रु० 80 पैसे कर दिया अर्थात् इसमें 40 पैसे की बढ़ोत्तरी की, लेकिन किसानों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। 13 रु० क्विंटल गन्ने के दाम 1980 में थे तो पंजाब सरकार ने 26 रु० गन्ने के दाम दिये। अब आप साढ़े 16 रुपये स्टेट्यूटरी प्राइस रखते हैं तो इस हिसाब से गन्ने के दाम 35 रु० रखे जाने चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब केबिनेट ने यह फैसला किया है कि कारखानों में पैदा होने वाली चीजों के दामों में और खेत में पैदा होने वाली चीजों के दामों में पैरिटी होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए तो आप गन्ने के संबंध में यह नियम क्यों नहीं लागू करते है? सन् 1980 में लोहे के दाम 300 रु० क्विंटल थे और आज वह 800 रु० क्विंटल हैं। सीमेंट की एक बोरा 70 रु० में मिल रही है। लेकिन गन्ने के दाम 22 रु० और 24 रु० क्विंटल आप रखे हैं। यहां पर पैरिटी का सिद्धान्त कहां रहा है? जब आपने चीनी के दाम 4 रु० 40 पैसे से बढ़ाकर 4 रु० 80 पैसे कर दिये हैं और लेवी शुगर को मात्रा 65 प्रतिशत से घटाकर 55 प्रतिशत कर दी है तो आप किसानों के हित में क्या करने जा रहे हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की वर्तमान नीति का परिणाम यह होगा कि इस साल सातवीं पंचवर्षीय योजना में चीनी का जितना उत्पादन हुआ है अगले सालों में चीनी का उत्पादन और भी कम होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति से किसानों को उनके उत्पादन का उचित

[श्री कल्पनाथ राय]

मूल्य मिलना चाहिए। अभी हालत यह है कि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। आने वाले सालों में आपका चीनी का कंजम्पशन बढ़ेगा। इस साल आपने 450 करोड़ की चीनी विदेशों से मंगाई है। अगर देश में चीनी का उत्पादन कम हुआ, गन्ने का उत्पादन कम हुआ तो आने वाले सालों में आपको और भी अधिक चीनी का आयात करना पड़ेगा।

हिन्दुस्तान जैसे देश में जहां पर गन्ने का उत्पादन इतना हो सकता है कि वह पूरे एशिया को चीनी दे सकता है वहां पर गन्ने के उत्पादन की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज किसान गन्ने की खेती छोड़कर भाग रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं। जो किसान वहां रहते हैं वे गांवों को छोड़कर कलकत्ता और बम्बई की तरफ भाग रहे है क्योंकि उनको रेमुनरेटिव प्राइस नहीं दी जा रही है। एक तरफ कारखानों में पैदा होने वाली चीजों के दाम घोड़े की रफ्तार से बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ किसान द्वारा पैदा होने वाली चीजों के दाम चींटी की गति से भी नहीं बढ़ रहे हैं और इसके कारण भारी असंतुलन हो गया है। मैं आज विश्व की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने 1980 में कैबिनेट की मीटिंग में नीतिगत निर्णय लिया कि कारखानों में बनने वाली वस्तुओं और खेतों में पैदा होने वाली चीजों के दामों में पैरिटी एस्टेबिलिश की जायेगी। तो मैं जानना चहता हूं कि वर्तमान केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उस पैरिटी को एस्टेबिलिश करने की दिशा में क्या कदम उठाये हैं? उन्होंने इंडीस्ट्रियल चीजों के दामों और खेती में पैदा होने वाली चीजों में क्या पैरिटी एस्टेबिलिश की है? आप सीमेन्ट ले लीजिए, लोहा ले लीजिये डालडा ले लीजिये, कपड़ा ले लीजिये, जो भी चीजें किसान इस्तेमाल करता है, अगर किसान बाजार में सीमेन्ट के लिये जाता है तो उसको एक बोरी सीमेन्ट 70 रुपये में पड़ती है। किसान ने अपना गन्ना दे दिया तो साल भर के बाद उसको पैमेन्ट होगा लेकिन अगर किसान कपड़ा खरीदेगा तो बिना पैसे उसको कपड़ा नहीं मिलेगा, सीमेन्ट लेगा तो बिना पैसे कैसे मिलेगा? बिना पैसे के क्या कोई सामान बाजार में मिल सकता है? आज किसान की हालत यह है कि उनका करोड़ों करोड़ रुपया मिल मालिकों के ऊपर बकाया है। आज हिन्दुस्तान का किसान बाढ़ से तबाह है, सुखाड़ से परेशान है और इसके बावजूद उनको उचित मूल्य न दिया जाये इससे राष्ट्र कैसे आगे बढ़ सकता है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं और राजीव गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने पिछले साल बम्बई अधिवेशन में कहा था कि अब एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन नहीं होगा बल्कि किसानों के हित के लिये एग्रीकल्चर कास्टिंग एंड प्राइस कमीशन होगा। पहले एग्रीकल्चर की कास्टिंग करेंगे और फिर प्राइसिंग करेंगे। यह किसानों के हित में एक बड़ा अच्छा कदम है। लेकिन अभी तक एग्रीकल्चर कास्टिंग एंड प्राइसिंग कमीशन का निर्माण नहीं हुआ है। एग्रीकल्चर प्राइसिंग कमीशन के चेयरमैन क्या कहते है:

A former Chairman of the Agricultural Prices Commission Mr. Randhir Singh, has called for the dissolution of the Commission on the ground that it has failed to ensure a fair price to the farmers for their produce. He feels that a body failled with bureaucrats and urban-based exports tends to over-emphasise the interests of the consumer and recommends uneconomic prices forgetting that farmers, are also consumers. and that the bogey of inflation is raised periodically to mufflo the farmers' demand for fair prices.

यह एग्रीकल्चर प्राइसिंग कमीशन के चेयरमैन श्री रणधीर सिंह का ब्यान है कि पिछले एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को डिजाल्व किया जाय, इसको खत्म किया जाय। किसानों को फेयर प्राइस नहीं दी जाती है। यह एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के चेयरमेन की रिपोर्ट है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि

जो प्रधान मंत्री जी की इच्छा है, जो उनकी मंशा है कि एग्रीकल्चर कास्टिंग एंड प्राइस कमीशन बने और एग्रीकल्चर की चीजों की पहले कास्टिंग हो और फिर उसकी प्राइसिंग हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पहले एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस कमीशन बनाइये और उसके बाद आप खुद इसमें इनीशियेटिव लेकर किसानों द्वारा पैदा की जाने वाली चीजों के दामों का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करके उसको निर्धारित करने की कोशिश करें। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने 1980 में ही इस निर्णय को ले लिया था कि हम किसानों के खेतों में पैदा होने वाली चीजों और कारखानों में पैदा होने वाली चीजों के दामों में पैरिटी एस्टेबिलिश करेंगे, दोनों में संतुलन पैदा करेंगे। आदरणीय उपसभापति महोदया, इन शब्दों के साथ मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह चीनी मिलों का तत्काल राष्ट्रीयकरण करे। जब तक किसानों की मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। आज किसानों के गन्ने के दो रुपये दाम बढ़ा दिये गये।

**उपसभापति** : कल्पनाथ जी, कन्क्लूड कीजिये।

**श्री कल्पनाथ राय** : एक मिनट में कन्क्लूड करता हूं।

Statutory price is related to the recovery. Statutory price is related to the levy sugar price which is being given by the capitalist in the levy sugar and that too you have reduced from 65 per cent to 55 per cent. On the other hand, you have Rs. 40 per kilo increase for the consumer. Who is going to be benifited—farmers or capitalists?

तो आपकी नीति कहां है, आपकी नीति की दिशा किधर है ? इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुल्क में किसानों के ही बेटे सीमाओं पर जाकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और उन किसानों के ही बेटे खेतों में हल चलाकर अन्नदाता और प्राणदाता बनकर राष्ट्र को अन्न देते हैं। देश की एकता, अखण्डता को कायम रखने का जो नारा देश के नेता श्री राजीव गांधी ने दिया है तो देश के किसान ही, इस मुल्क की एकता को बचा सकते हैं और देश के किसान ही इस मुल्क की अखण्डता के लिए सीमाओं पर अपने खून की नदियां बहा सकते है। इसलिए किसानों के हितों की रक्षा की जाए ताकि देश की आजादी मजबूत हो। श्रीमती इन्दिरा गांधी का सपना था एक शक्तिशाली हिन्दुस्तान बने, गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज्य का, ग्राम राज्य का, आदर्श राम राज्य हो, आदरणीय दरबारा सिंह जी फ्रीडम फाइटर है... (**व्यवधान**)

**उपसभापति** : अब आप समाप्त कीजिए। (**व्यवधान**)

**श्री कल्पनाथ राय** : ग्राम राज्य होगा, किसान राज्य होगा, राम राज्य होगा, इस तरह का हमारा नया देश बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसान जो अपने खेतों में पैदा करता है उन सभी चीजों का रेमुनरेटिव प्राइस दिया जाए।

**उपसभापति** : श्री चतुरानन मिश्र जी, मैं आपको यह बता दूं कि इसको डेढ़ बजे से पहले हमने समाप्त करना है।

**श्री चतुरानन मिश्र** : (बिहार) : उपसभापति महोदया, अभी ईख के रेमुनरेटिव प्राइस के बारे में माननीय सदस्य कल्पनाथ राय जी ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया है मैं उसके समर्थन में ही बोल रहा हूं। अभी पिछले कुछ वर्षों से यह और भी स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि सरकार की नग्न पूंजीवादी नीति के चलते भारत के किसान तबाह हो रहे हैं। भारत के किसान देश को सेल्फ सफिशियेंट बनाना चाहते हैं लेकिन सरकार अपनी नीतियों के चलते देश की आत्म निर्भरता को समाप्त कर रही है। आज जब हम लोग ईख के सवाल पर विचार कर रहे हैं तो पार्लियामेंट के

[श्री चतुरानन मिश्र]

सामने केरल के तमाम विधायक आए हैं क्योंकि नारियल का दाम इतना घट गया है कि यह नारियल उद्योग समाप्त हो रहा है किसान डूब रहे हैं यानी पिछल साल अगर एक नारियल चार रुपये में मिलता था तो अभी एक रुपये में मिल रहा है। यही हालत जूट पैदा करने वाले किसानों की है। उसकी कीमत एक तिहाई पर चली गई है। यही हालत शुगरकेन, गन्ने के बारे में हो रही है। नतीजा यह हो रहा है कि हमारा देश विदेशों से चीनी मंगा रहा है, विदेशों से नारियल तेल हमने मंगाया है, विदेशों से जूट मंगाया। यह सरकार न सिर्फ किसानों को तबाह कर रही है बल्कि भारत की अर्थ-व्यवस्था को चौपट करने के लिए आत्म-निर्भरता की नीति को त्याग रही है। यह अत्यंत ही लज्जाजनक स्थिति है। इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। अभी मन्त्री महोदय ने जो बयान दिया है उसमें और पहले भी यह आया है कि 40 पैसे प्रति किलो इश्यु प्राइस चीनी का बढ़ा दिया गया है। 40 पैसे इश्यु प्राइस बढ़ाया गया है और गन्ने को कीमत दो रुपये पचास पैसे बढ़ाई गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब चीनी की टोटल कीमत अब 4.80 पैसे प्रति किलोग्राम हुई तो बीस पैसे मे अगर ढाई रुपया बढ़ता है तो 4.80 पैसे में उसका दाम 30 रुपये होना चाहिये। इसके लिए कोई बड़ा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। टोटल प्राइस को आप देख लीजिये। अगर 40 पैसे में, ढाई रुपये बढ़ा तो साफ बात है गन्ने का दाम 30 रुपये हो जाता है फिर मालिक लोगों को चीनी पूंजीपतियों को यह राहत क्यों दी जा रही है सरकार की तरफ से। यह अत्यंत ही दुखद और लज्जाजनक स्थिति है। मैं एक प्रश्न के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अभी 'इकोनोमिक टाइम्स', 26 नवम्बर में चीनी उद्योग के बारे में उसके रिसर्च ब्यूरो का एक लेख प्रकाशित हुआ है और मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि लेवी चीनी के अनुपात को घटा दिया गया है। उसके बारे में उन्होंने कहा है लेकिन दरहकीकत यह है कि वह अनुपात कभी सही लागू नहीं होता। इस विषय में मैं आपको एक उद्धरण पढ़ कर सुनाता हूं।

"This ratio of 65:35 has not been rigidly followed in the recent past. Even if due allowance is made for the incentive scheme under which new sugar units and those expanding their capacity are allowed a higher free sale entitlement· it is clear that the above norm has not been rigidly adhered to."

यानी पहले भी यह नार्म था 65 और 35 का। यह कभी सही ढंग से नहीं माना गया और अभी भी नहीं माना जाएगा। नयी मिलों के लिए सरकार ने छूट दी है एक्सपेंशन के नाम पर भी लेवी शुगर कम कर लेते हैं। दरअसल यह फिर फिफ्टी-फिफ्टी पर आ जाता है। जो पूंजीपति लोग मांग कर रहे थे वही सरकार ने स्वीकार कर लिया खुद पूंजीपतियों ने अपना एक मेमोरंडम दिया, मैं समझता हूं शायद मन्त्री महोदय के पास भी होगा। यह लांग टर्म, शुगर केन की, शुगर पालिसी एट इट्स परसपेक्टिव, इंडियन शुगर मिल्स एसोशिएशन की उसको मैं पढ़कर सुना रहा हूं। उन लोगों ने भी यही मांग की थी कि 50-50 परसेंट दीजिए और एक्चुअली सरकार ने 50-50 परसेंट कर दिया है जैसा कि इकनामिक टाइम्स के रिसर्च का मैंने सुनाया। लेकिन शुगर मिल्स एसोसियेशन ने भी कहा था कि किसान को गन्ने की कीमत बढ़ाई जाये। मैं उनकी रिकमेंडशन के आइटम नं० 10 को पढ़ रहा हूं।

"With the increase in the statutory cane price to Rs. 18 per quintal ...the corresponding increase in the ex-factory price of sugar per quintal assuming an average factory free sale sugar of Rs. 600 per quintal viz. Rs. 7 a kg, the total actual cane price payable under law, that is as per clause 5 (a) of the Sugar Cane Price Control Order, would come to about Rs. 26 per quintal of the cane."

यानी इन लोगों ने सोचा कि 7 रुपये किलो चीनी बिके तो ये 26 रुपये प्रति क्विंटल दे सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि चीनी की कीमत सात रुपये किलो से ज्यादा है। यह फ्री चीनी की बात है। दिल्ली में भी है और गांवों में चले जाइये तो आठ से दस रुपये किलो चीनी बिक रही है। कहीं भी मंत्री महोदय चाहें तो मैं जाने के लिए तैयार हूं और साबित कर दूंगा कि सात रुपये किलो से ज्यादा बिक रही है। यह सारा रुपया कहां जा रहा है। अपने बयान में कहते हैं भार्गव फार्मूला लेकिन वह है कहां। यह किताबों में है या भाषणों में है। ये तो सारी चीनी चुरा कर बेच लेते हैं और लेवी का परपज ही डिफीट कर देते है और इस तरह से (समय की घंटी) जो निहित स्वार्थ है उसके लिए ही लगातार यह काम किया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इसका संबंध ढाई करोड़ किसानों से और पौने तीन लाख मजदूरों से है। लेकिन इस कांग्रेस सरकार की पहली उपलब्धि यह रही है, वैसे तो कल्पनाथ राय जी ने सरकार की तारीफ की है लेकिन पहली उपलब्धि कांग्रेस सरकार की चीनी की मार्फत यह रही है कि वह उत्तर भारत से चीनी उद्योग का श्राद्ध कर रही है, अब यह खत्म हो रहा है, भाग रहा है, अंतिम चरण पर है। सरकार के इस चीनी मिल मालिकों के हित में काम करने के चलते ईख का कम्पांउड रेट आफ एरिया बड़ी तेजी से बिहार, यू०पी०, पंजाब, हरियाणा और आंध्रा में घट रहा है, गन्ने का प्रोडक्शन घट रहा है, गन्ने की प्रोडक्टिविटी घट रही है यही स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए यह पहली उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि यह है कि भारत पहले चीनी निर्यात करता था, एक्सपोर्टर था अब वह इम्पोर्टर हो गया है चीनी का, यह भी आपके लिए लज्जाजनक बात है। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहूंगा कि जब चीनी का मूल्य बढ़ता है तो किसान मिलों को ज्यादा गन्ना देने लगता है और जब दाम घट जाता है तो वह खांडसारी की तरफ चला जाता है। ईख का उत्पादन पिछले 10 वर्ष का हम लोग हिसाब लगाकर देखें तो हम लोग देखेंगे कि 81–82 और 82–83 में जब गन्ने की पैदावार बढ़ी, 18 करोड़ 63 लाख 28 हजार से लेकर 18 करोड़ 96 हजार टन के लगभग चली तो मिलों में ज्यादा शुगर केन आने लगा यानी 44–47 परसेंट आने लगा जबकि उनका एवरेज पहले 30 से 33 परसेंट ही था। किसानों को खांडसारी से कोई प्रेम नहीं है। लेकिन आपके मिल मालिकों की तरफ से इतना सताया जाता है कि खांडसारी में मिलों का ऊंचा दाम रहने पर भी वे उनको नहीं देते हैं क्योंकि खांडसारी में कम समय में उनका खेत साफ हो जाता है और दूसरी फसल करने लगते हैं। इसीलिए खांडसारी में ईख जा रही है तो इसका प्रधान कारण यह है कि सरकार उनको उचित मूल्य नहीं दे रही है और इसीलिए ऐसी स्थिति यहां पर पैदा होती है। सरकार और एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन ने गन्ने की कीमत तय करने में इन्टर क्रापों का भी मूल्य जोड़ा है। गन्ने की कीमत तय करने के वक्त दूसरी फसलों का हिसाब उन्होंने लिया, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि चीनी के दाम फिक्स करने के वक्त में क्या उन्होंने छोआ वगास और छोआ से उत्पन्न स्प्रिट या शराब आदि का मूल्य जोड़ा है? उन्होंने नहीं जोड़ा है। यह बेइंसाफी पूंजीपति लोग कम रिकवरी दिखाकर कम उत्पादन दिखलाते हैं, करों की चोरी करते है, काला धन बनाते हैं और फ्री सेल का तो हमने कहा कि वह 50–50 तक एक्चुअली चला आया है।

**उपसभापति** : आप सवाल पूछिए, यह कालिंग अटेंशन है, इसलिए सवाल पूछिए।

**श्री चतुरानन मिश्र** : यह सवाल ही है। जवाब तो उन्हीं को देना है। किसानों का जो लागत खर्च होता है उसका वह दाम उनको नहीं मिलता। उनको क्रेडिट सुविधा नहीं है। लेट से सीजन शुरू होता है और समय पर पैसा नहीं मिलता है। आज भी मंत्री महोदय ने कहा है कि 26 करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों का बकाया है। कैसा पूंजीवाद

[श्री चतुरानन मिश्र]

चला है कि मुफ्त में गन्ना मिले, मुफ्त में मजदूरी मिले और चीनी मजदूरों को अन्य किसी भी आर्गेनाइज्ड सैक्टर के मुकाबले में मजदूरी 30 पर्सेंट से भी कम है। आर्गेनाइज्ड सैक्टर मे जितनी मजदूरी है उसके मुकाबले में यहां 30 से 40 परसेंट कम मजदूरी है। इसलिए किसानों को कोई भी सुविधा नहीं है। जो लेटेस्ट साइंस एण्ड टैक्नोलोजी इजाद होती है वह भी उनको उपलब्ध नहीं कराई जाती है ऐसी भयंकर स्थिति है। अराजकता तो यहां होनी ही है क्योंकि गन्ना है राज्य सरकार के मातहत और चीनी है दिल्ली सरकार की। अजीब बात है मां है कहीं और बेटा है कहीं। इसी ढंग से सारी चीजों को आप तय करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। अंत में निष्कर्ष निकालते हुए मैं प्रश्न पूछना चाहत हूं कि जैसा कि कल्पनाथ राय जी ने भी कहा और मैं उनके इस विचार से पूर्णत: सहमत हूं कि जब तक सरकार चीनी उद्योग को पूरा-पूरा अपने हाथ में नहीं लेगी जब तक सरकार चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण नही करेगी तब तक देश को आत्म-निर्भर बनाना कठिन है और इसीलिए हम विदेशों से भीख भी मांगते रहे हैं और रहेंगे। अब तो ऐसा लगता है कि श्री कल्पनाथ राय जी अपनी पार्टी में अरण्यरोदन ही कर रहे हैं वैसे इसमें भी हम साथ रहेंगे। अब तो प्रश्न उठता है और जो मैंने पहले भी कहा कि मौजूदा स्थिति में यह जरूरी हो गया है कि किसानों का लागत खर्च सही ढंग से आंका जाए और इसके लिए किसानों के गन्ने की कीमत कम से कम सरकार 30 रुपये निर्धारित करे। मैंने पहले कहा कि जो चालीस पैसा इन्होंने चीनी की इक्यू प्राइस को बढ़ाया है उसके हिसाब से जो अढ़ाई रु० गन्ने का दाम बढ़ा है। इस लिहाज से जब 4 रुपये 80 पैसे प्रति क्विंटल का दाम है तो गन्ने की कीमत 30 रुपये निर्धारित होनी चाहिए। इसीलिए मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्यों सरकार किसानों को उचित मूल्य नहीं दे रही है? क्यों सरकार शुगर मिल्ज एसोसिएशन ने जो सुझाव रखा है उसको भी नहीं मान रही है? जब यह लेवी घटा दिया गया है जिसका वास्तविक असर यह होगा कि 50-50 का रेश्यो हो जाएगा तब किसानों को उचित मूल्य से महरूम करना होगा बल्कि यह पूंजीपतियों की नग्न सेवा करना है।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि सरकार गंभीर रूप से इस समस्या पर विचार करेगी कि किसान हमारे देश को सैल्फ सफीश्यिंट बनाते है तो पूंजीपतियों से लाकरके सरकार उनके सारे उत्साह को बर्बाद कर रही है। यह अत्यन्त ही घातक नीति है और इसकी मैं सख्त निंदा करता हूं। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Upendra.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): Madam Deputy Chairman, our country was first in the world in regard to sugar production. But, unfortunately, during the last two or three years, the sugar industry has been in doldrums in this country resulting in hardships not only to the industry, but also to the sugarcane growers.

Madam, the three hundred and fifty-five factories have reported a total loss of about Rs. 800 crores during the last two or three years. Production has declined from 84 lakh tonnes in 1981-82 to 61 lakh tonnes last year While deciding the sugar policy Madam, our objective should always be to meet the increasing demand for sugar in the country at prices reasonable to the consumers and also to see that the cane growers also get a reasonable price for their produce and the industry also gets its raw material, namely, sugarcane, in time and in the required quantities and also to improve the productivity in the sugarcane growing areas. But, unfortunately, in all these aspects have failed and the Government has not been able to achieve this objective. The demand for sugar is expected to rise to 96 lakh tonnes by 1989-90. We have already imported 10 lakh tonnes

this year, and according to the present indications we may have to go in for more imports, wasting more foreign exchange. As Mr. Kalpnath Rai has rightly pointed out, there should be an incentive to the farmer, and the minimum statutory price should be at such a level that the actual price will be around Rs. 30. I fully support his demand.

Also, there are some other things to be done. The Sugarcane Development Fund which has been created over the years, mostly remains unutilized and the factories which have a linkage of sugarcane acreage want to utilize this for higher productivity and better cultivation. But this fund is not made available to the sugar mills. Similarly ,in research stations etc., there has been a good deal of development in the better varieties of sugarcane, etc. But the results of such research are not made available to other parts of the country. Wherever it is done, it remains there only.

Then sugarmills have got a bonding policy of sugarcane. But this is not observed; in most cases it is violated. A big problem nowadays is the diversion of sugarcane to the khandsari and gur units in various parts of the country. I was told that in western Uttar Pradesh the khandsari and gur units paid as much as Rs. 32 per quintal last year. A a result, the sugar mills have been deprived of sugarcane. If you take the statistics in 1984-85, the sugar industry used only 35 per cent of 177 million tonnes of sugarcane grown, whereas the khandsari and gur units used as much as 52 per cent. Therefore, this trend must be arrested in the interests of the sugar industry.

There is also one point, which is a very sensitive point but I would like to pose this problem to the Minister. In the price of sugar, since 1973-74 there has been an increase of 63 per cent. This increase does not correspond with the increase in prices in regard to various essential commodities like rice, wheat, pulses or edible oils. But who has benefited by this? I do understand nowadays that with the standard of living growing, even the poor people are using sugar. But most of the benefit, I think has gone to the sweetmeat shop owners who use large quantities of sugar. and also, whatever you distribute through the public distribution system, most of it finds its way through blackmarketing to the sweetmeat shop owners. (*Time bell rings*). Therefore, instead of wasting a lot of foreign exchange the Government may consider whether it is necessary to put a restriction on the use of sugar by the sweetmeat shop owners. I think some of the friends who eat sweets may be offended by this, but in the overall interest of the country I think some restriction may be necessary also.

Another point is the large arrears which the farmers have to be paid for the sugarcane supplied by them. The State Governments are forced to give loans and advances to the factories to pay these arrears. The State Governments are also forced to pay a support price to make it more remunerative because the Union Government fixes a very low rate. The States are required to pay a heavy amount in the form of support price. And for this. I feel, the Union Government should subsidise the States to that extent. Whatever amount they are paying to sugar factories to pay to the farmers must be reimbursed by the Union Government. The statutory price should be intimated much in advance so that it can be an incentive to the farmers to grow sugarcane.

Most of the time it comes during the season or after the session and it does not help the farmers. Therefore. I feel that since the farmer has to make a lot of commitment while growing sugarcane, the Government should announce the price much in advance.

The law requires that the statutory price of sugarcane should be fixed bearing four or five points in mind. One is the cost of production of

[Shri Parvathaneni Upendra]

sugarcane. The second is the return to the grower from alternate crops the general trend of prices of agricultural commodities. The third is the availability of sugar to the consumer at a fair price. The fourth is the price at which the sugar produced from sugarcane is sold by the producers of sugarcane and the fifth is the recovery of sugar from sugarcane. The statutory price has to be fixed keeping these five points in mind. Unfortunately, the first two important points, namely, the cost of production of sugarcane and the return to the grower from alternate crops and the general trend of prices of other agricultural commodities are not being taken into account while fixing this statutory price. Therefore, these are the two important points which should be taken into consideration while fixing the statutory price.

There is another point also. The Commission on Agricultural Prices and Coasts fixed prices of a number of commodities including paddy, wheat, etc. Almost in all the cases, the price suggested by this Commission is accepted by the Government. Sometimes, it is a little more also. Only in the case of sugarcane it has always been less than what was recommended by the Commission on Agricultural Prices and Costs. I do not know why the Government shows this stepmotherly treatment to the sugarcane growers. Therefore, I would request the Minister to ponder on all these points and give satisfactory answers while replying to the debate.

**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (उत्तर प्रदेश) : माननीय डिपुटी चेयरमैन महोदया, चीनी उद्योग हिन्दुस्तान का नम्बर दो का प्रसिद्ध उद्योग है । दो साल पूर्व संसार में चीनी उत्पादन में हिन्दुस्तान पहला स्थान रखता था । सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण पिछले दो वर्षों में चीनी का उत्पादन गिरते-गिरते 59 और 61 लाख टन क्रमशः रह गया है । माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण रहा है ? मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि इतने बड़े उत्पादन के बाद इतनी बड़ी गिरावट और उसके फलस्वरूप आत्म-निर्भर होने की घोषणाएं करने के पश्चात् पिछले वर्ष 5 लाख टन और इस वर्ष साढ़े 19 लाख टन चीनी का बाहर से आयात किया गया । विदेशी मुद्रा की बड़ी कमी है और यह कमी देश के लिए प्रति महीना बढ़ती जाती है । सिस पर 600 करोड़ रुपए की वह वस्तु विदेश से मंगाई गई जिसको हम एक्सपोर्ट करते थे । इससे अधिक दोषपूर्ण नीति क्या हो सकती है । मैं यह आरोप लगाता हूं कि सरकार की चीनी की नीति उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों के विरुद्ध है । पिछले वर्षों के कुछ आंकड़े मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं । 80–81 में सरकार ने 23 रुपया क्विन्टल गन्ने की कीमत घोषित की थी गन्ना नहीं मिला । फिर 26 रुपए क्विंटल गन्ने की कीमत की गई । गन्ना नहीं मिला, बहुत मिला क्रशर्स को । चीनी मिलों ने भी भाव बढ़ाया । तब किसान ने भरपूर गन्ने का उत्पादन किया और नतीजा यह हुआ कि गन्ने ने किसान की कोशिशों के फलस्वरूप 81–82 और 82–83 में वर्ल्ड में चीनी के उत्पादन में हिन्दुस्तान का स्थान नम्बर एक हो गया । माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 81–82 82–83 और 83–84 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की कीमत साढ़े 21 रुपए क्विन्टल रखी, तो क्या इन तीन वर्षों में उत्पादन व्यय में वृद्धि नहीं हुई ?

अगर उत्पादन व्यय में, कास्ट आफ प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है तो तीन साल तक लगातार क्या किसान के हितों की उपेक्षा नहीं की गयी ? क्यों लगातार वही कीमत रखी ? और फिर आपने 8 आना कीमत इस वर्ष गन्ने की बढ़ायी है । 8 आना प्रति क्विंटल, जब कि गत वर्ष किसान को वही कीमत मिली— 21 रुपये 50 पैसे । लेकिन पीछे सीजन में भारत सरकार ने चीनी की कीमत 25 रुपये क्विंटल बढ़ा दी और माननीया, किसान को 22 रुपये क्विंटल की कीमत

मिलती रही और सरकार ने 1 अप्रैल, 1985 को 40 रुपये क्विन्टल चीनी की कीमत और बढ़ा दी और अब 1-12-85 से 40 रुपय प्रति क्विंटल चीनी की कीमत बढ़ा दी और । तो मेरे कहने का मंशा यह है कि इन पौने दो वर्षों में सरकार ने 105 रुपये प्रति क्विंटल चीनी की कीमत बढ़ायी है। क्या यह उपभोक्ताओं के हित में है? किसान को आप ने ढाई रुपये प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत बढ़ायी है। यह नीति न मान्यवर उन के हित में है, न किसानों के हित में है और न उपभोक्ताओं के हित में है। बल्कि उनकी नीति तो मिल मालिकों के हित में है और वह कैसे? इन्होंने 14 रुपये से साढ़े 16 रुपये प्रति क्विंटल स्टैचुयरी प्राइस मुकर्रर की है साढ़े 8 प्रतिशत की रिकवरी पर और दूसरी ओर रियायत जो उन्होंने दी है वह 65 प्रतिशत व 35 प्रतिशत की जो लेवी और फ्री सेल की चीनी की उसे घटा कर 55 और 45 प्रतिशत कर दिया। यह भी मिल मालिकों के हित में है। बल्कि स्टेचुयरी प्राइस भी मिल मालिकों के हित में है और किसान को जो 2 रुपये प्रति क्विंटल दिया है---शायद यहां हरियाणा के माननीय सदस्य बैठे हैं और अगर गलत बात होगी तो बतायेंगे नहीं तो तस्दीक करेंगे कि हरियाणा ने 3 रुपये प्रति क्विंटल की दामों में वृद्धि की है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। तो एक मोटा सा हिसाब है। 105 रुपये कीमत उन्होंने चीनी की बढ़ायी पौने दो साल में। और दस फीसदी चीनी की निकासी हुई तो अगर उसी का हिसाब लगा लीजिए तो 105 का दस फीसदी हुआ साढ़े दस रुपये। तो 22 रुपये में साढे दस के हिसाब से कीमत बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी नहीं बढ़ायी। केवल 2 रुपये गन्ने की कीमत बढ़ायी गयी। क्या किसान का कास्ट आफ प्रोडक्शन नहीं बढा? आप की इजाजत से मैं आंकड़े माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं 1970-71 में जो कीमत थी उस को अगर 100 मान लें तो 1982-83 में खाद की कीमत 277.77 रुपये हो गयी थी और 1983-84 में डिजिल आयल की कीमत 800 रुपये हो गयी थी। आठ गुना और इसी प्रकार से बिजली की कीमत 100 के मुकाबले में 371 हो गई थी और इंसेक्टीसाइड और पेस्टीसाइड दवाइयों की कीमतें 100 के मुकाबले में 425.9 रुपये हो गयी हैं और ट्रैक्टर की कीमत 355.80 रूपये हो गयी है। और लुबरीकेशन के लिये मोबिलआयल आदि जो हैं उस की कीमत 466 हो गयी है कर सीमेंट की कीमत 100 के मुकाबले में 421 हो गयी है और लोहे की कीमत 438.80 हो गयी है। तो जिन चीजों की किसानों को जरूरत है उन की कीमतें चार गुना बढ़ गयी हैं, डिजिल आयल की कीमत 8 गुना हो गयी है लेकिन आप किसान को देते हैं दो रुपया प्रति क्विंटल। क्या उस की कास्ट प्रोडक्शन में इजाफा नहीं हुआ। यह भी बहुत दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि किसानों के गन्ने की कीमत आज भी मिल मालिकों पर कई करोड़ रूपये बकाया है। आज तक जब से यह कानून बना है कि 14 दिन के बाद उस को सूद मिलेगा, हिन्दुस्तान की एक फैक्ट्री ने एक फीसदी भी किसान को सूद का नही दिया। मान्यवर, आपने 10 लाख का बफर स्टाक मिल मालिकों के लिये स्टाक में रखा। 43 करोड रुपया आप मिल-मालिकों को सूद का दे चुके हैं बफर स्टाक के अगेंस्ट और किसान को एक नया पैसा भी आपने नहीं दिलाया। मिल मालिक अमीर लोग हैं, धनपति हैं, पूंजीपति हैं और किसान मेहनतकश इन्सान हैं इसलिए आपने इनको एक पैसा भी नहीं दिलाया जो उस को कानूनी मिलना चाहिए। आपने मिल-मालिक को 43 करोड़ रुपया दिलवाया है और अभी कुछ का हिसाब होना बाकी है जो आप को दिलवाना है। समाजवाद की व्याख्या को आपको अजसरेनो बनाना पड़ेगा। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं उनसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना के पूर्व 1948-49 में चीनी के मूल्य में, गन्ने के मूल्य में क्या अनुपात था, क्या रेशो था। आप कृपा करके देखें कि 1948-49 में किसान

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

के गन्ने की कीमत चीनी मूल्य के 62.5 प्रतिशत थी और गिरते गिरते अब 38.6 परसेंट रह गई है। यह किसान के गन्ने के मूल्य और चीनी के मूल्य में अनुपात है, रेशो है। क्या किसान की इकोनोमिक स्थिति पर असर नहीं पड़ता? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर उसकी चीजों की कीमतें नीची रखी जाती है और जिन आवश्यक चीजों की किसान को जरूरत होती है, एग्रेन्शियल कमोडीटीज की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं तो किस प्रकार किसान की माली हालत दुरुस्त कर सकेंगे। 76 फीसदी इस देश में किसान हैं। इसके अलावा मैं आपके ही दिये हुए आंकड़ों के अनुसार चन्द ऐसी फैक्टरियों की जानकारी आपको देना चाहता हूं जिसमें ईस्ट यू०पी०, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ऐसी बहुत सी फैक्टरिया हैं जो केवल 198 टन, 200 टन, 250 टन, 227 टन चीनी एक साल में पैदा करती हैं। क्या कभी उनकी इकोनोमिक हालत ठीक हो सकती है। इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आपने इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एक्ट भी बनाया था। उसके फंड आपके पास मौजूद हैं आप यह कोशिश करें कि जो आपके अनइकोनोमिक युनिट्स हैं उनको किसी तरह से इकोनोमिक करें। मेरा सुझाव है कि आप एक शुगर कमीशन बनाएं जो कमीशन इन बातों की तह में जाए कि किस प्रकार हम शुगर प्रोडेक्शन को बढ़ा सकते हैं, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए चीनी के मूल्य में और गन्ने के मूल्य में क्या अनुपात रहे, क्या रेशों रहे इस चीज को वह देखे।

यह शिकायत की जाती है कि मिल-मालिकों को गन्ना सप्लाई नहीं किया जाता। वह समझते हैं कि सारा गन्ना कैशर, कोल्हू में गुड़ के लिये चला जाता है। आप अंदाज लगायें कि पिछले साल मिलों को आपको जो गन्ना सप्लाई किया गया उसमें से अभी भी 60 करोड़ रुपया मिल मालिकों पर बाकी है। क्या आप उनको सूद दिलवा रहे है? यह कैश, (नकदी) फसल है जिससे वह अपने घर की आवश्यक वस्तुएं खरीदता है- विवाह, शादी, ट्यूबवैल और दूसरी चीजों में खर्च करता है। आप उनको गन्ने की कीमत दिलाते नहीं है और कैशर वाले, कोल्हू वाले उनको उसी वक्त पैसे दे देते हैं इसलिए वे मजबूर होकर उनको गन्ना सप्लाई करते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने गन्ने की कीमत काफी कम रखी है। यह किसी भी हालत में 33 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए और इसके साथ-साथ गुड और खंडसारी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके कारण लाखों आदमी, गरीब आदमी को रोजगार मिलता है। बहुत पुरानी कोटेज इंडस्ट्रीज हैं

1.00 P.M. इन बातों पर भी आप ध्यान रखें। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे किसानों को उनके न्यायोचित मूल्य दिलाये। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हू कि अभी कुछ दिन पहले 22 तारीख को मेरी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से बातचीत हुई थी और उनसे कहा था कि क्या आप किसानों को केवल 24 रु० क्वींटल दाम दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम पहले से ही 50 करोड़ रुपयों का नुकसान उठा रहे हैं। यह राशि हमें प्रतिवर्ष उन फैक्ट्रियों के लिये देनी पड़ती है जिनको टेक ओवर किया गया है। अगर आपने जंक लगी हुई कूड़ा-कड़कट को अपने हाथ में ले लिया है और आपके मैनेजर उनको खा गये हैं तो इन सारी बातों की जिम्मेवारी सरकार की है। आप उसके लिए किसानों को क्यों पीनलाइज करते हैं। अगर आपने किसानों को पीनलाइज किया तो आपको गन्ना नहीं मिलेगा। बेईमान जनरल मैनेजरों को बदौलत आपको नुक्सान उठाना पड़ा है। उनकी वजह से आप किसानों को पीनलाइज मत कीजिये। अगर आपने गन्ने की कीमत नीचे रखी तो आपको मजबूर होकर विदेशों से चीनी मंगानी पड़ेगी जो आपको नहीं मंगानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप गन्ने की कीमत को

रिवाइज कराइये और गन्ने की कीमत आप किसी भी हालत में 33 रु० क्वींटल से कम न रखिये।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Gopalsamy, not here. Shri Gurupadaswamy.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Karnataka): Madam Deputy Chairman, the Government of India has been following a policy of control, decontrol, partial control of sugar for the last many years. There has been no consistency in this policy. There has not been no plan or strategy in respect of sugarcane and sugar production keeping in view a longer period. I feel that time has come to have at least a five-year perspective in respect of sugarcane and sugar policy. We are now at the stage of partial control of sugar. There has been partial control of sugar and sugarcane in late sixties and early seventies and we have been having partial control of sugar and sugarcane since 1979. But in all these years, the Government has not been able to stabilise sugar prices or able to give adequate return to the farmer. This is the phenomenon that we have been witnessing.

There has been fluctuation in sugarcane production and sugar production in the country because of a lack of steady policy on the part of the Government in respect of sugar and sugarcane. Therefore, my first point would be to ask this Government to draw out or to evolve a plan for sugarcane and sugar for the next five years. In other words, I would like the country to have a perspective plan for sugar and sugarcane for the next five years at least for the present Seventh plan period. The most unfortunate part of the sugar policy, according to me, is the Government has singularly failed to take into account the cost of production, the real cost of production of sugarcane. The approach of the Government has always been *ad-hoc* in spite of the fact that the Agricultural Prices Commission has been making recommendations from season to season to the Government. The Government has been administering the prices of various commodities like paddy, wheat, oilseeds and the like. Look at the price sanctioned for these commodities and also the price approved for sugarcane. Madam, while the administered prices of wheat, paddy, cotton, groundnut have been raised by 16.9 per cent. 25.7 per cent, 31.6 per cent and 52.9 per cent, respectively, since 1980-81, the minimum price of cane has been raised only by 3.9 per cent. You can imagine how the sugarcane growers have been discriminated against by the Government. They have not been able to maintain parity. Here, I am not talking of the parity between the prices of manufactured and agricultural commodities. This is a different aspect. I am only talking of the parity between the prices of sugarcane and other agricultural commodities, which I have quoted. The present fixation of price, sugarcane price does not take into consideration, this aspect. The Hon. Minister has said that the Government has fixed Rs. 16.50 per quintal linked to a basic recovery of 8.5 per cent this year and he goes on to say that next year, he has fixed Rs. 17 per quintal. This is far inadequate, if you take into consideration the comparative cost of producton of these various agricultural commodities.

Therefore, my second point would be, the Government, while fixing the prices of various commodities, should maintain parity. There has got to be a link, a rational link, between the prices fixed for other commodities and the price fixed for sugarcane, which is not being done. That is why, the disappointed sugarcane growers divert their cane for other purposes like khandsari, for manufacture of jaggery etc.

Another element which has not been taken into consideration by my friend the hon. Minister, is, the sugar factories do get a lot of other profits, besides the profits obtained by the

[Shri M. S. Gurupadaswamy]

sale of sugar. This seems to have been overlooked. There is bagasse, there is molasses, from which alcohol is produced. I do not think, these things have been taken into consideration while fixing the price of sugarcane. My contention is, the whole policy is biased in favour of the sugar lobby, sugar industry. This should not happen in future. If there has got to be a proper balance between supply and demand in sugar and sugarcane, the Government should give adequate and remunerative price to the sugarcane growers that should cover the cost. Madam, the cost has been worked out by the *Agricultural Price Commission*. The average cost worked out by the Commission is about Rs. 13 or Rs. 13.50 per quintal. Till now the sugarcane growers were given Rs. 14 per quintal linked to the basic recovery of 8.5 per cent. There is only a marginal increase in the price fixed by the Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please wind up. Otherwise, we will have to take it up after 6 o'clock.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I am concluding.

In the end, I would like to point out that we have to be self-reliant so far as sugar is concerned. We have the potential to achieve this objective. We have achieved this objective in the past but we have been faltering so far as our policy is concerned. Therefore, I would like the Government to have this objective of self-reliance in view. If need be, we should also export sugar. We have exported sugar in the past. This should be the basic, overriding consideration while evolving a comprehensive policy for sugar.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is all. I am calling the next speaker.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I would like the Government to have a thorough look into the working of sugar factories. Many sugar factories have been sick for various reasons. I would like the Government to have a thorough enquiry, investigation about the causes for faltering sugar mills. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri M. Kadharsha. (*Interruptions*) I have called the next speaker.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I would like the Government to evolve a policy which is suited for achieving the objective of self-reliance.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief. Otherwise, we will have to take it up after 6 o'clock.

SHRI M. KADHARSHA (Tamil Nadu): What is the time allotted to my party?

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no time for the party on Calling Attention. You have to ask questions

ज्यादा मिठास के अन्दर थोड़ा कीड़ा पड़ता है यह पुरानी कहावत है ।

**श्री वीरेन्द्र वर्मा** : महोदया, आप तो कनैन समझ रहा है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: My job is to run the House, not to see what one should speak and what one should not speak.

SHRI M. KADHARSHA: Madam Deputy Chairman, sugar is sweet, so also the Minister, but not the sugar policy of the Government. It is bitter to the last.

There are 25 million farmers engaged in cane growing and 2,75,000 workers involved in harvesting. The value of the sugar crop is more than Rs. 2000 crores approximately. The excise duty to the Union Government comes to about Rs. 300 crores and the share of the State Governments from cess is Rs. 100 crores. Such a vital sector is not getting a fair deal from the Government. That is my concern.

When the Commission of Agricultural costs and prices recommended minimum price of cane at Rs. 16.50 the Government fixed it at Rs. 14 and

when the federations recommended the price at Rs. 18, the Government has now fixed it at Rs. 16.50. Several State Governments wanted the minimum price from Rs. 20 to Rs. 25 because the cost of cultivation has gone beyond Rs. 15 per quintal. The announcement has belied the hopes of the farmers. Seventy per cent of the canegrowers are small farmers with the land holding of less than 1.5 acres. They cultivate cane against several odds. And if the farmers go for early maturing varieties they incur a loss of 15 per cent in weight. This loss should be compensated with 15 per cent higher price. They are cultivating sugarcane against several odds. The mills cannot cope with the arrival of cane. Even after they receive challans they take two-three days for crushing the harvested cane. They do it at their own convenience. Madam, in both ways the grower is affected. Above all the payments are not made promptly. The cane-growers have to wait for months together to get their mounting dues. The paradox is that the mills do not pay a single paisa as interest on the dues of the growers. On the other hand the poor agriculturist has to bear interest on the advance he has received from the bank. It will be the moral obligation of the sugar mills to pay interest from the moment the cane was supplied to them. So the interests of the cane-growers have not been looked after by the Government. The Government has succumbed to the pressure of the industry by changing the ratio of levy sugar and free sale sugar to 55:45.

Since the Government has failed to give remunerative prices for sugarcane, many cane-growers have switched over to other crops and the area under sugarcane is diminishing. The growers get higher return from wheat and paddy. Between 1980-81 and 1984-85, the procurement price of wheat was increased from Rs. 117 to Rs. 152 per quintal and that of paddy from Rs. 105 to Rs. 137 per quintal, *i.e.* nearly Rs. 32 to Rs. 35 increase, but the statutory price of sugar was raised by one rupee a quintal and now by two rupees a quintal. Our grievance is that paddy is not treated on par with wheat. It is yet another story for discussion.

Government policy is also very inconsistent. It has neither benefited the cultivator nor the consumer. The *per capita* consumption of sugar in India is only 1/8th that of America and Australia. The sugar price in world market have gone down by 50 per cent, it is increasing in India by leaps and bounds. The sugar price in London is Rs. 167 per quintal, but in Bombay and Delhi it is nearly Rs. 800 per quintal. But the cane grower is not getting one-fourth of this money for his hard labour.

Several high powered committees have recommended that the acreage of cane should be increased so as to have a balanced growth of sugar production. But the Government did not listen to their advice and had to pay a heavy price for that. Sugar import has cost Rs. 500 crores to the national exchequer in foreign exchange and has further strained the balance of payments' position.

I would like to know from the hon. Minister whether a realistic minimum price will be fixed considering the cost of cultivation and parity with other crops without casting the responsibility on the State Governments. And what incentives are to be given to bring more farmers under sugarcane cultivation? The licensed capacity of the industry is 87.59 lakh tonnes, but the anticipated production of sugar this season will be 60 lakh tonnes. So there is a gap of about 20 lakh tonnes. How does the Government propose to maintain the balance between demand and supply? Will it again be through imports? Will imports be a permanent answer to shortage or to the shortcomings of the Government?

[Shri M. Kadharsha]

I would also like to know whether it is a fact that sugar industry is utilizing extra capacity of crush unaccounted cane yielding? If so, what action has been taken by the Government? What is the estimated loss of excise duty to the Government because of this illegal crushing? Further will participation of cane-growers be allowed for the administration of sugar factories in order to check these malpractices?

Finally, I would like to point out that the Southern part of the country is totally neglected. I am not bringing North-South controversy, if I may say so, but it is a bitter truth. Government is lending all sorts of help to the inefficient units in the North. Nearly 50 per cent of the sugar mills are lying sick in Uttar Pradesh, but the Government is not giving permission to set up new mills in the South where cane yield and recovery rate are higher than in the North.

In my own State of Tamil Nadu, more than 30 applications are pending with the Government for expansion and construction. While no Central investment is required, when no foreign exchange is involved for import of machinery, why should the Government hold up all these licences? The Planning Commission has estimated the sugar requirement by the end of the Seventh Plan period as 11 million tonnes. According to the Working Group on sugar industry set up by the Planning Commission, 23 sugar factories would have to be licensed every year for the next five years to reach the additional capacity But the Government has imposed a total ban on the setting up of new sugar mills. Is it not in contravention of the decision of the Planning Commission? These are my questions, Madam.

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Madam Deputy Chairman, this is one industry where the cane growers and workers are being exploited by sugar barons, specially in the private sector. Neither the cane growers nor the workers get any benefit out of it and it is the middlemen who are making a profit out of it. But the tragedy of the situation—the parodox—is that the Government also started indulging in profiteering at the cost of the workers and consumers. Otherwise there is no reason for the kind of prices they are giving to cane growers on the one hand the mill owners on the other. The price paid to the cane grower per quintal of cane is only Rs. 16.50. At the same time, sugar is imported from other countries. Now, if Rs. 2 is the cost of imported sugar, per kilo, they add an excise duty of Rs. 2 on that and some other additional duty and sell it to the consumers at Rs. 4.50 per kilo. I fail to understand why the Government should make profit at the cost of the consumers and what is the reason for such an excessive duty on the sugar which is imported. If sugar is imported at such a low price, them the consumers are entitled to get it at Rs. 2 per kilo and not at the price at which the Government is giving through the fair price shops.

In Maharashtra and other States, there are cooperative sugar factories and it has been a very successful experiment. But, 49 licences are pending. The cane growers want to have more sugar factories but because of the fanciful idea of the Industry Minister, we have got a "No-Industry District Policy". A reply was given here in answer to a question that this policy will apply to the cooperative sector also. Therefore, no licence is being granted for the opening of new sugar factories in Maharashtra in the cooperative sector, though we have got a better recovery rate and a better situation in Maharashtra. Therefore, the policy of the Government is hindering the growth of the sugar in my State.

As my friend has earlier said, in the sugar cooperative sector in Maharashtra, workers cannot become shareholders. They do not and cannot

claim more because there is a limitation to that. Also, in the sugar industry, if workers' participation in management is to be made effective, I suggest that in the industry as a whole, both in the private and cooperative sectors, workers should be given shares and participation of workers in management should be accepted as a principle. Why I say this is because of the levy-free sugar policy. What is the reason given for this levy-free sugar policy? It is stated here, "The improvement in the liquidity position of the sugar industry is also expected to minimise the overall level of cane price dues". Now the general price index has gone up by more than 300 to 400 per cent. What was the general price index and what were the prices of sugar in 1971? If you compare the prices given to the cane growers in 1971 and today, the rise in the prices given to the cane growers is hardly 60 per cent while the general price index has gone up by 300 to 400 per cent. How can cultivation be profitable unless the cultivators get incentives?

Now under the scheme of 55:45 ratio, the profits are taken away by the mill-owners. It is said that because the owners are given levy price and profit, they give more price to the cane growers. Is it a fact? How much profit do they got and by how much have the cane prices been increased? But for the minimum price increase which has been given by the Government to the cane growers, the owners would have asked for an even lower price to be given to the cane growers. Therefore, the sugar manufacturers are not utilizing the profit which they are making out of levy-free sugar and hence my suggestion is that the quota of levy-free sugar should be reduced—it should not be more than 25 per cent—and all the rest of the sugar should be levied by the Government and given for free distribution at a lower price to the consumers.

These are all the points that I have to make.

SHRI K. MOHANAN (Kerala): Madam, this remunerative price of agriculture produce is a general issue. It includes sugar, coconut, jute, cotton, paddy and everything.

I congratulate Shri Kalpnath Rai ji, my esteemed friend who is very familiar with the problems of the sugarcane growers in this country for presenting their case in an effective manner on the floor of this House.

As Deepawali gift to sugar magnates of this country, the Central Government has decided to raise the price of sugar as well as the share of free-sale sugar. Through these decisions the additional profit for the sugar barons of this country is estimated, for this year, to be more than Rs. 2,00 crores. But, here, in his statement the Minister has stated that these measures were intended to improve the liquidity position of the sugar producers so that they can pay higher competitive and remunerative price to the sugarcane growers. You are very much interested in promoting, in improving, the liquidity position of the mill-owners. But what is the guarantee from your side to the farmers that these fellows will give a share of their profit to the poor farmers or the poor sugarcane growers?

Madam, my colleagues have already pointed out the salient features of the issue. So, I am not going into the details.

The crashing price of the agricultural produce is not confined to sugar alone, as I have already mentioned. This is applicable to each and every agricultural commodity of this country. "Produce more or perish" is our slogan. But, as far as the farmers, the peasants, of this country are concerned, "Produce more and perish" is the reality they are facing. If you produce more, you would not get a remunerative price.

Madam, I am coming from the southern most tip of the land. That is Kerala. *Kera* means coconut. The very

[Shri K. Mohanan]

name of the land has emerged from the term 'kera'. Kerala means the land of *kera*, coconut. Madam, coconut is the backbone of the economy of Kerala. It accounts for 26 per cent of the total agricultural income of the State. About 1-crore population out of 2.5-crore total population of the State is dependant on the conconut clutivation. The export earning from the coconut products like coir and the coir products annually is to the tune of Rs. 260 crores. Last year the production had gone down due to acute drought, and the price had gone up to Rs. 4,000 per thousand coconuts. But this year with favourable natural conditions and the dedicated efforts of the farmers, the production has gone up. But then the Government decided to import coconut oil in a big way and they have forced the coconut growers to sell their coconut for 95 paise compared to Rs. 4 last year. The entire Opposition MLAs from the Kerala Assembly are staging a *dharna* in front of Parliament House today demanding remunerative price to the coconut growers of Kerala. It is not only in the case of coconut. What is happening in Haryana and West Bengal is that the farmers, the paddy cultivators are burning their paddy crops. The FCI is not procuring any paddy.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are talking about sugar.

SHRI K. MOHANAN: Yes, Madam, This is connected with sugar. These are all connected with sugar.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Here we are talking only of sugar.

SHRI K. MOHANAN: Of course, I know, the poor cane-growers of this country are not good financiers to the ruling party, but the sugar barons of this country are. So, you are adopting this policy. I would request the Government to reconsider the whole approach. You are trying to improve the liquidity of the sugar barons. But at the same time you are liquidating the cane growers of this country. This is the reality. So, my only question is whether the Government would stop their policy of benefiting the monopoly houses at the expense of the poor farmers and the poor consumers of this country.

Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ashwini Kumar. I have two speakers. If the House so wishes, we will cut down the lunch hour and finish this or we will take it up after 6 o'clock.

SHRI S. W. DHABE: The lunch break should be there.

श्री अश्विनी कुमार (बिहार) : माननीय उप सभापति महोदया . .

SHRI S. W. DHABE: Madam, it is already 1.30, we should adjourn for lunch.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2.30 P.M. for lunch The Calling Attention will be taken up after 6 o'clock.

The House then adjourned for lunch at thirty-one minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty two minutes past two of the clock, The Deputy Chairman in the Chair.

## THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 1985

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF STATES (SHRI P. A. SANGMA): Madam Deputy Chairman, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

As the House is aware, on 15th August, 1985, the representatives of the Government and the leaders of the All Assam Students Union and the All Assam Gana Sangram Parishad signed a Memorandum of Settlement which was laid on the Table of the House on 16th August, 1985.